अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार(रों) द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

---

[1] *कार्पोरेट अफेयर मंत्रालय - (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014, दिनांक 4 सितम्बर 2014*

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया (जनवरी 2017) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसईज वह सरकारी कम्पनियाँ है; जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसईज के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) एंव डीपीई द्वारा अंगीकृत परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसईज मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2016-17 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2016-17 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन कार्पोरेट अभिशासन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई द्वारा जारी दिशानिदेशों के सीपीएसईज द्वारा पालन, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, केंद्रीय सरकार तथा सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, सीपीएसईज के संयुक्त उद्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु सार्वजनिक खरीद, 2012 के प्रावधानों के पालन तथा सीपीएसईज की वित्तीय स्थिति पर भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के प्रभाव की स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसईज तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2017 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 636 सीपीएसईज थे। इनमें 438 सरकारी कम्पनियां, 06 सांविधिक निगम[2] तथा 192 सरकार नियंत्रित अन्य

• सरकारी कंपनियां	438
• सरकारी द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	192
• सांविधिक निगम	6
• कुल सीपीएसई	636

[2] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय भण्डारण निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण*

कम्पनियां शामिल थी। इनमें से, 579 सीपीएसईज का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसईज की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज का कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप

सीपीएसईज की प्रवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए सीपीएसईज की संख्या
		2016-17 तक के लेखे	निम्न तक लेखे		कुल	
			2015-16	2014-15		
सरकारी कम्पनियां	438	376	21	3	400	38
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	444	382	21	3	406	38
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	192	168	3	2	173	19
जोड़	**636**	**550**	**24**	**5**	**579**	**57**

2016-17 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 57 सीपीएसईज (19 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसईज को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II ए तथा परिशिष्ट II बी** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सार

(सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम)

सीपीएसई की संख्या	444
कवर किए गए सीपीएसई	406
प्रदत्त पूंजी (406 सीपीएसई)	₹ 4,34,734 करोड़
दीर्घावधि कर्जे (406 सीपीएसई)	₹ 11,70,568 करोड़
बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	₹ 15,14,177 करोड़
निवल लाभ (212 सीपीएसई)	₹ 1,58,373 करोड़
निवल हानि (157 सीपीएसई)	₹ 30,678 करोड़
शून्य लाभ/हानि (37 सीपीएसई)[3]	
घोषित लाभांश (111 सीपीएसई)	₹ 82,491 करोड़
कुल परिसंपत्तियां (406 सीपीएसई)	₹ 39,98,986 करोड़
उत्पादन का मूल्य (406 सीपीएसई)	₹ 17,26,452 करोड़
निवल सम्पत्ति (406 सीपीएसई)	₹ 14,28,319 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2017 के अंत में 406[4] सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में इक्विटी निवेश और दीर्घावधि ऋण की राशि निम्नलिखित तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: सरकारी कम्पनियों और निगमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2017 को			31 मार्च 2016 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	जोड़	इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	जोड़
1. केन्द्र सरकार	324270	79671	403941	298800	67872	366672
2. केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	48699	24777	73476	38640	24072	62712

[3] *406 में से 37 सीपीएसई थे, जिन्होंने 2016-17 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि ओपरेशन शुरू नहीं किया गये थे या घाटे/शुद्ध खर्च को कोष या परियोजन लागत के साथ समायोजित किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के मामले में आईडब्ल्यूएआई अधिनियम 1985 के तहत गठित आईडब्ल्यूएआई कोष में हानि ₹ 145.83 करोड़ को समायोजित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए एनएचएआई अधिनिमय 1988 के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के और इससे जुडे मामले या आकस्मिक मामले, ₹ 278.72 करोड़ की निवल हानि को उसकी अचल आस्ति के साथ समयोजित किया गया था।*

[4] *444 सीपीएसई - 38 सीपीएसई जिनके लेखे बकाया थे।*

3. राज्य सरकारों/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां तथा निगम	26572	12196	38768	24480	9839	34319
4. वित्तीय संस्थाएँ/अन्य	35193	1053924	1089117	31822	970084	1001906
जोड़	**434734**	**1170568**	**1605302**	**393742**	**1071867**	**1465609**
कुल निवेश से केन्द्र सरकार के निवेश की प्रतिशतता	74.59	6.81	25.16	75.89	6.33	25.02

1.2.1 इक्विटी में निवेश

1.2.1.1 इक्विटी सूचना

2016-17 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 406 सीपीएसईज की इक्विटी[5] के अंकित मूल्य में कुल निवेश में ₹ 40,992 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई है। सीपीएसई में केन्द्र सरकार की होल्डिंग के अंकित मूल्य में ₹ 25,470 करोड़[6] की वृद्धि हुई है। ₹ 28,153 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयर जारी करने का शुद्ध परिणाम 54 सीपीएसई में ₹ 25,470 करोड़ की वृद्धि थी तथा 11 सीपीएसई[7] में ₹ 2,683 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयरों की विनिवेश एवं पुनर्खरीद की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र

---

[5] ***इक्विटी/शेयर धारकों की निधि = प्रदत्त शेयर पूंजी (+)मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष (-), संचित हानि (-) आस्थगित राजस्व व्यय।***

[6] ***एयर इंडिया लि. सहित 21 सीपीएसई के अनंतिम आंकडे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपने अंतिम लेखापरीक्षित खातों के आंकडो के आधार पर शामिल किए गए है क्योंकि 2016-17 के खातो के लिए 30 सितम्बर 2017 की अंतिम तारीख से पहले प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए, वर्ष 2016-17 के दौरान एयर इंडिया लिमि. में केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 2,465.21 करोड़ की डाली गई इक्विटी को कुल डाली गई इक्विटी ₹ 28,153 करोड़ में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान कैब्लेश लिमि एवं मुम्बई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन में वर्ष 2016-17 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा क्रमश: ₹ 4,755.56 करोड़ एवं 100 करोड़ की इक्विटी डाली गई, तथापि उक्त को कुल डाली गई इक्विटी ₹ 28,153 करोड़ में शामिल नहीं किया वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरों का आवंटन बकाया था।***

[7] ***14 सीपीएसई के मामले में इक्विटी का विनिवेश किया गया तथापि 03 सीपीएसई के मामले में, जैसे इंजिनीयर्स इंडिया लिमि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमि. एवं एनबीसीसी (इडिया) लिमिटेड, विनिवेश को बोनस शेयर जारी करने की राशि में समायोजित किया गया और बोनस शेयरों की निवल राशि की डाली गई इक्विटी के रूप में दर्शाया गया।***

सरकार द्वारा ₹ 28,153 करोड़ का नया इक्विटी निवेश किया गया, संबंधित सीपीएसई में रोकड आवक को मुख्य इक्विटी के रूप में ₹ 22,297 करोड़ का नया निवेश किया गया था एवं ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण तथा बोनस शेयर जारी करने के रूप में ₹ 5,856 करोड़ था जिसमें संबंधित सीपीएसई का रोकड आवक शामिल नहीं था। ₹ 22,297 करोड़ की इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के उद्देश्य की समीक्षा लेखापरीक्षा की गई, जिसे कैश सीपीएसई में शामिल कैश फ्लो सूचित करता है कि 28 सीपीएसई में प्रमुख मदों के व्यय के लिए ₹ 21,499 करोड़ का निवेश किया, ₹ 509.89 करोड़ सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की बैठक व्यय हेतु, जिसमें 04 सीपीएसई राजस्व प्रकृति के थे। ₹ 66.78 करोड़ राजस्व मदों के व्यय जैसे वेतन भुगतान, भविष्य निधि, सांविधिक कर आदि भारत वैगन तथा अभियांत्रिकी कम्पनी लिमिटेड के लिए मिले और मुम्बई मैट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड में पूंजीगत एवं राजस्व व्यय दोनो हेतु ₹ 221 करोड़ का निवेश किया गया।

31 मार्च 2017 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार तथा अन्य द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश चार्ट I में दर्शाया गया है।

चार्ट I: सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश

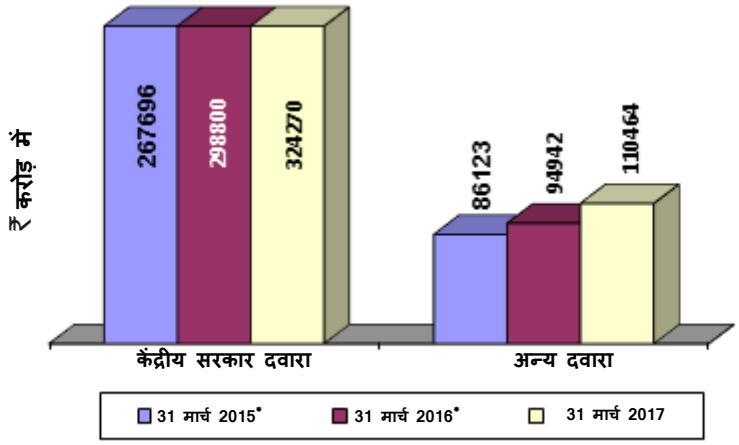

*(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2016-17 के दौरान अद्यतित किए गए क्योकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2016-17 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ 2,000 करोड़ से अधिक के निवेश) के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	14,079
सरकारी कम्पनियां		
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	2,856
इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	2,000

1.2.1.2 विनिवेश

31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सीपीएसई के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष वार विनिवेश लक्ष्य तथा उसके प्रति उद्ग्रहीत राशि चार्ट II में दर्शाइ गई है:

चित्र II: विनिवेश लक्ष्य तथा वास्तविक उद्ग्रहण (₹ करोड़ में)

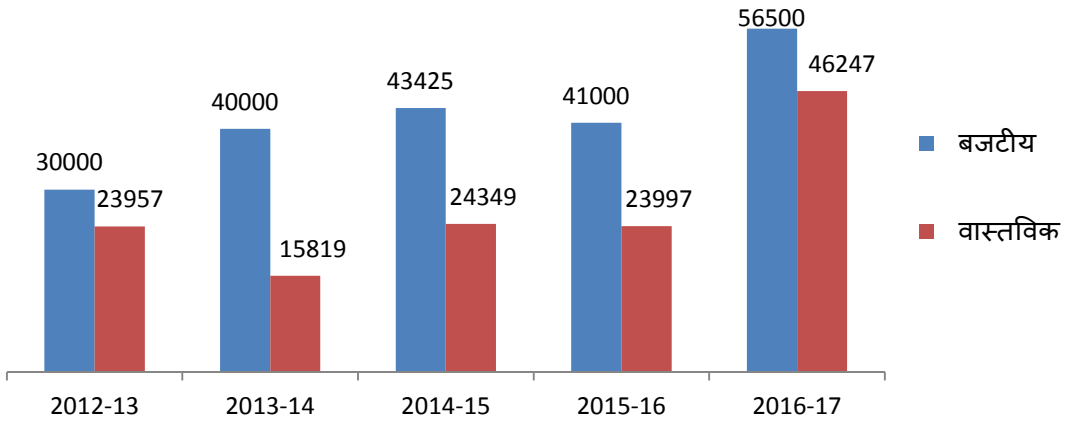

केंद्रीय सरकार ने 2016-17 के दौरान विनिवेश पर ₹ 56,500 करोड़ की बजटीय प्राप्ति की तुलना में ₹ 46,246.58 करोड़[8] की वसूली की। इसमें सीपीएसई के विनिमय ट्रेडिड फंड (सीपीएसई-इटीएफ)[9] से ₹ 8499.98 करोड़, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विशेष उद्यम

---

[8] *स्रोत: निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग।*

[9] *सीपीएसई ईटीएफ विभिन्न सीपीएसई के शेयरो से बना एक बास्केट है जो इंडेक्स निधि का मार्ग है, परन्तु विनियम पर स्टॉक की तरह व्यापार करता है 10 सीपीएसई के शेयरों के विनिवेश से प्राप्त राशि ₹ 8,499.98 करोड़ है जो इनमें शामिल है ओएनजीसी लिमि., कॉल इंडिया लिमि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमि., पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमि., रूरल इलेक्ट्रिफिक्शन कॉरपोरेशन लिमि., कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि., भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि., ऑयल इंडिया लिमि. इंजिनीयर्स इंडिया लिमि.।*

(एसयूयूटीआई)[10] की नीतिगत सम्पत्ति के विनिवेश से ₹ 10,778.71 करोड़ तथा 14 सीपीएसई में सम्पत्ति के विनिवेश से ₹ 26967.89 करोड़ शामिल है। सीपीएसई वार विनिवेश आय तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: विनिवेश आय की प्राप्ति

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वापस खरीद; ओएफएस[11])	5.61	3475.26
2	कोयला इंडिया लिमिटेड (वापस खरीद)	1.25	2638.24
3	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.25	9.34
4	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.09	0.93
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.5	31.38
6	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (ओएफएस)	7	399.93
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.5	262.49
8	मोइल लिमिटेड (वापस खरीद; ओएफएस)	15.36	1278.82
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (वापस खरीद)	6.36	2831.71
10	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (ओएफएस)	15	2201.14
11	एनएचपीसी लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस; वापस खरीद)	11.46	4686.34
12	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (वापस खरीद)	0.68	1429.38
13	एनएमडीसी लिमिटेड (वापस खरीद)	5.06	7519.15
14	एनटीपीसी लिमिटेड (कर्मचारी ओएफएस)	0.22	203.78
	कुल		**26967.89**

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2016 में जारी सीपीएसई की पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई कि कम से कम ₹ 2,000 करोड़ के कुल मूल्य तथा ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के नकद तथा बैंक शेष वाले प्रत्येक सीपीएसई को अपने शेयरों की वापस खरीद का विकल्प प्रयोग

---

[10] *एसयूयूटीआई का गठन पूर्ववर्ती यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) की यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पुन संरचना द्वारा किया गया था और यह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उद्यम एवं रिपील हस्तांतरण) अधिनियम, 2002 के पारित होने पर 1 फरवरी 2003 से लागू हुआ था। एसयूयूआईटी को रिपील अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित योजनाओं के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। एलएंडटी लिमि. एवं आईटीसी लिमि. के शेयरों की बिक्री माध्यम में एसयूयटीआई के द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10,778.70 करोड़ प्राप्ति हुई।*

[11] *ओएफएस: बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) वह खंड है जिसमें प्रमोटर/प्रमोटर समूह इकाई/गैर प्रमोटर अपने शेयरों को पारदर्शी तरीके से एक्सचेंज फार बिडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से बेच सकते है।*

करना चाहिए। तथापि, तालिका 1.5 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था (30 सितम्बर 2017):

तालिका 1.5: शेयरों की वापस खरीद पर दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	एसजेवीएन लिमिटेड
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
8	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

दिशानिर्देशों में आगे परिकल्पना की गई कि प्रत्येक सीपीएसई को बोनस जारी करना चाहिए यदि इसका निश्चित आरक्षित तथा अधिशेष इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुणा के बराबर या अधिक थी। तथापि, तालिका 1.6 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2017):

तालिका 1.6: बोनस शेयर जारी करने पर दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	निश्चित आरक्षित	अभ्युक्तियां
		31 मार्च 2017 तक ₹ करोड़ में		
1	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	7.33	211.05	बोनस शेयर जारी करने के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है
2	बीईएमएल लिमिटेड	41.77	2139.78	मांगी गई छूट हेतु अनुमोदन
3	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.00	1422.59	
4	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	430.00	18015.77	अक्टूबर 2017 में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी किया
5	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	100.00	3779.24	--
6	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	1.37	15.33	--
7	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	113.28	1905.72	अगस्त 2017 में आईपीओ जारी किया
8	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28.00	1220.00	अनुच्छेद में संशोधन हेतु अनुमोदन मांगा गया है

1.2.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2017 को बकाया दीर्घावधि ऋणों का परिकलन

31 मार्च 2017 को सभी स्रोतो 406 सीपीएसई बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 11,70,568 करोड़ थे 31 मार्च 2016 की तुलना में सभी स्रोतो के दीर्घावधि ऋणों में सीपीएसई ने 31 मार्च 2017 तक ₹ 98,701 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। 31 मार्च 2017 को सीपीएसई के कुल ऋणों में केन्द्र सरकार के ऋण ₹ 79,671 करोड़ थे। सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्योंरो को चार्ट III में दर्शाया गया है।

चार्ट III: सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋण

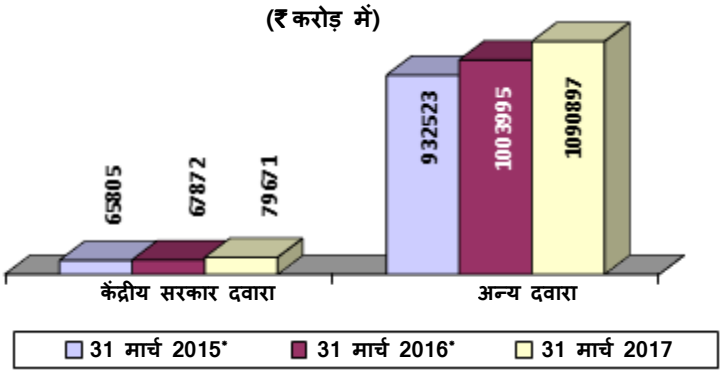

(*पिछले साल के आंकड़े 2016-17 के दौरान अद्यतित किए गए जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

406 सीपीएसई में से 243 सीपीएसई (01 सावंधिक निगम सहित) के कोई बकाया दीर्घावधि ऋण नहीं है।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को देने के लिए संपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कम्पनी ऋण चुका सकती है या नहीं। ऋण चुकाने में सक्षम उसे माना जाए जिस इकाई की संपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्जो के कुल योग से ज्यादा है। 163 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज जिसमे 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण को तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसंपत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीए सई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीए सई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	5	107167	489139	456.43				
सूचीद्ध कम्पनियां	31	681449	1779915	261.20	3	2292	1869	81.54
असूचीबद्ध कम्पनियां	105	375784	850000	226.19	19	3877	910	23.47
कुल	141	1164400	3119054		22	6169	2779	

163 सीपीएसई में से जिसमें 31 मार्च 2017 को बकाया ऋण था, 22 सीपीएसई के संबंध में **(परिशिष्ट-III)** कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम थी।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं तथा इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज तथा कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होगा उतनी ही कम कम्पनी की ऋण पर ब्याज भुगतान की योग्यता होगी। एक से नीचे कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का ब्यौरा तालिका 1.8 में दिया गया है:

तालिका 1.8: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसई की सं.[12]	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसई की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2014-15	10971	12223	4	2	2
2015-16	11421	13747	4	2	2
2016-17	10163	13389	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2014-15	47569	111861	34	24	10
2015-16	53045	123300	33	23	10
2016-17	56564	153194	34	23	11
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2014-15	18880	35784	129	61	68
2015-16	16111	30989	133	62	71
2016-17	18724	34470	124	58	66

यह देखा गया था कि 2016-17 के दौरान असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में मामूली रुप से घट गई थी। 11[13] सीपीएसई के संबंध में, 31 मार्च 2017 को ऋणों पर देय ब्याज उनकी कुल परिसपत्तियों के मूल्य से अधिक था जो इन कम्पनियों के दिवालिया होने के उच्च ज़ोखिम को दर्शाता है।

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा 173[14] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेशित पूंजी चार्ट IV में दर्शाई गई है:

---

[12] *उन सीपीएसई को छोड़कर जिनकी कोई ब्याज देयता नहीं है।*

[13] *अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड, अंडमान एण्ड निकाबार द्वीप, वन और वृक्षारोपण विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड, बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटोफील्मस् (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयलस कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, टीसीआईएल बिना टोल रोड़ लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोटेक्टस लिमिटेड।*

[14] *173=192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां - 19 जिनके लेखे बकाया थे।*

चार्ट IV: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में शेयर पूंजी की संरचना

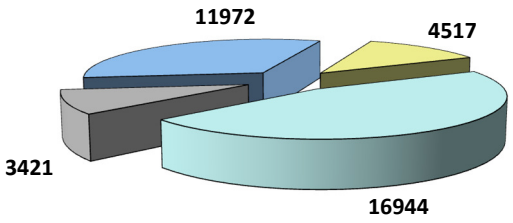

केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सरकारी कम्पनियॉ तथा निगम – ₹ 16,944 करोड़

राज्य सरकार, राज्य सरकारी कंपनियां तथा निगम – ₹ 4,517 करोड़

वित्तीय संस्थान एवं बैंक – ₹ 11,972 करोड़

अन्य – ₹ 3,421 करोड़

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को इन सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में इक्विटी ₹ 36,854 करोड़ थी जो 2016-17 में ₹ 4,320 करोड़ तक बढ़ गई।

1.2.4 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कम्पनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रस्तुत करता है जिनके शेयर सूचीबद्ध है। 31 मार्च 2017 तक 59 सरकारी कम्पनियां, जिनमें 46 सरकारी कम्पनियां सहित सरकारी कम्पनियों की 05 सहायक कम्पनियां और 08[15] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के शेयर भारत में विभिन्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध थे।

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2016-17 के दौरान 42 कम्पनियों के शेयरों का व्यापार हुआ था और 4 कम्पनियों[16] के शेयरों का व्यापार नहीं हुआ था। सरकारी कम्पनियों की 05 सहायक कम्पनियों के संबंध में 04 में व्यापार किया गया था और वर्ष के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।

31 मार्च 2016 को ₹ 11,06,539 करोड़ के इक्विटी निवेश की तुलना में 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (04 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2017 को ₹ 15,14,177 करोड़ था। 31 मार्च 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 4,07,638 करोड़ (36.8 *प्रतिशत)* तक बढ़

---

[15] *(1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (4) बिसारा स्टोन लिम कंपनी लिमिटेड, (5) उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड, (7) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड और (8) आईएफसीआई लिमिटेड*

[16] *(1) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और (4) केआईओसीएल लिमिटेड*

गया था। 31 मार्च 2017 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 14,87,365 करोड़ पर स्थिर था जिनमें से केंद्रीय सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 9,79,564 करोड़ था।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स[17] 31 मार्च 2016 को 25,341.86 से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2017 को 29,620.50 हो गया। एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इन्डैक्स[18] 31 मार्च 2016 को 1,171.64 से 31 मार्च 2017 को 1,657 तक 41.42 प्रतिशत बढ़ गया।

31 मार्च 2017 तक 04 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों का व्यापार 2016-17 के दौरान हुआ था, ₹ 26,812.07 करोड़ पर स्थिर रहा था। 31 मार्च 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 तक चार सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 10,449.65 करोड़ (63.86%) तक बढ़ गया था। 31 मार्च 2017 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष 10 सीपीएसई तालिका 1.9 में दिए गए हैं:

तालिका 1.9: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,37,479
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,83,294
3	कोल इंडिया लिमिटेड	1,81,753
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,36,833
5	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,03,167
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	93,849
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	63,669
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53,380
9	एनएमडीसी लिमिटेड	42,111
10	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	39,920

[17] एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना मुख्य भागों में बड़े सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से ठोस दर्शाते हुए 30 घटक स्टॉक दर्शाते हुए बाजार पूंजीकरण भारित तंत्र पर की जाती है।

[18] एस एंड पी बीएसई सीपीएसई इन्डेक्स में बीएसई में सूचीबद्ध मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल होते है।

31 मार्च 2017 को 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में से 40 सीपीएसई के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में ₹ 20,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसई तालिका 1.10 में दिए गए है:

तालिका 1.10: ₹ 20,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2016 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2017 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	95,528	1,83,294	87,766
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,83,729	2,37,479	53,750
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,06,202	1,36,833	30,631
4	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	72,771	1,03,167	30,396
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65,193	93,849	28,656
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26,601	53,380	26,779

डीआईपीएएम द्वारा मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई जहां इसके शेयर की बाजार कीमत या बुक मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा अधिक हों, को उचित रूप से अपने शेयरों को विभाजित करना चाहिए बशर्ते कि शेयर का इसका मौजूदा अंकित मूल्य ₹ 1 के बराबर या अधिक हो। तथापि, तालिका 1.11 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2017)।

तालिका 1.11: शेयरों के विभाजन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले सीपीएसई

सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2017 को अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च 2017 को बाजार मूल्य (₹)	31 मार्च 2017 को बुक मूल्य (₹)	50 गुणा अंकित मूल्य (₹)	अधिक बाजार मूल्य (₹)	अभ्युक्तियां
बीईएमएल लिमिटेड	10	1360.7	524	500	860.7	--
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	687.55	543.08	500	187.55	अनुच्छेद में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	648.95	225.45	500	148.95	पश्च बोनस बाजार कीमत की 50 गुणा से अधिक बढ़ने की संभावना नहीं थी।
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	2	172.1	18.60	100	72.1	शेयरों का अंकित मूल्य केवल 2016 में विभाजित किया गया था।

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या 2015-16 में 203 की तुलना में 2016-17 में 212 थी। अर्जित लाभ 2015-16 में ₹ 1,54,497 करोड़ से 2016-17 में ₹ 1,58,373 करोड़ हो गया। 2016-17 में 212 सीपीएसई का आरओई 13.78 प्रतिशत था जबकी 2015-16 में 203 सीपीएसई का आरओई[19] 14.83 प्रतिशत था। सभी 406 सीपीएसई में इक्विटी पर रिर्टन अर्थात् 2016-17 में 157 हानि उठाने वाली और 37 शून्य लाभ वाली कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए 8.91 प्रतिशत था।

2014-15 से 2016-17 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट-v में दर्शाई गई हैं:

चार्ट v: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या

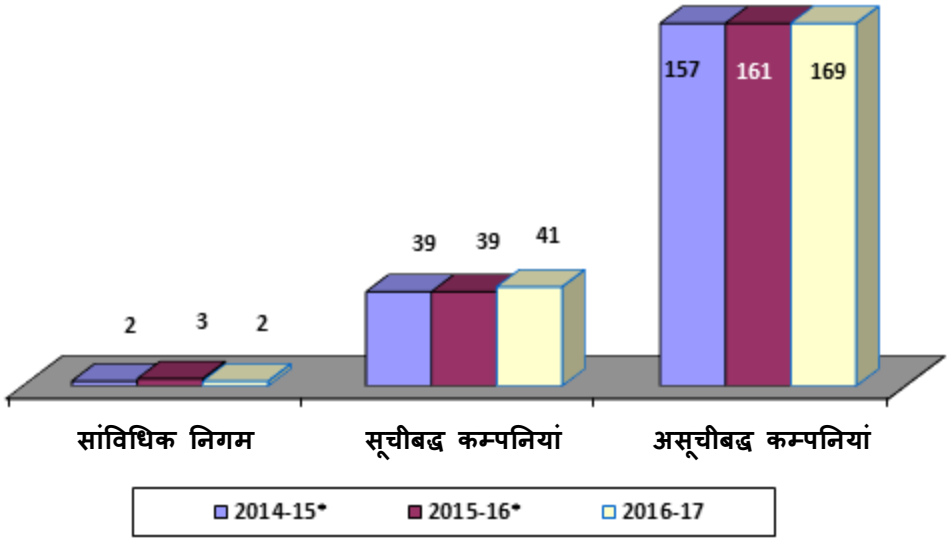

(*2016-17 के दौरान पिछले वर्षों के आंकड़ों को अद्यतित किया गया था जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.12 में सारांशीकृत किया गया हैः

[19] *इक्विटी पर रिटर्न = कर के बाद सकल लाभ और अधिमानी लाभांश/इक्विटी x 100*
जहाँ इक्विटी = भुगतान की गई पूंजी+मुक्त आरक्षित निधि-संचित हानियां-आस्थिगित राजस्व व्यय

तालिका 1.12: वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ से लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	60969	38.5
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	4570	2.89
जोड़	15	65539	41.39
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	16843	10.64
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	5	10010	6.32
जोड़	7	26853	16.96
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	21095	13.32
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	23	4786	3.02
जोड़	27	25881	16.34
जोड़ (1) से (3)	**49**	**118273**	**74.69**

2015-16 के दौरान 47 सीपीएसई द्वारा 72.75 *प्रतिशत* योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 49 सीपीएसई द्वारा 2016-17 के दौरान सीपीएसई के कुल लाभ के 74.69 *प्रतिशत* ₹ 1,18,273 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था।

25 सीपीएसई द्वारा ₹ 34,721 करोड़ का निवल लाभ का योगदान दिया गया था। जो कि रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत थे जो बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए खोले नहीं गए थे। इससे 2016-17 के दौरान सभी 212 सीपीएसई में ₹ 1,58,373 करोड़ को कुल लाभ का 21.92 प्रतिशत हो गया था। 2016-17 में इन 25 सीपीएसई के आरओई प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में कार्य कर रही 187 सीपीएसई में 13.76 प्रतिशत की तुलना में 31.83 प्रतिशत था।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान 173[20] सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनिया में से, 119 कम्पनियों ने ₹ 7,666 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन 119 सीपीएसईज का आरओई, 2016-17 में 4.81 प्रतिशत था। 173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में

[20] *173=192 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां - 19 जिनके खाते बकाया थे।*

(अर्थात 41 हानि वहन करने वाली और 13 शून्य लाभ वाली कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) आरओई 2.01 प्रतिशत था।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.13 में दी गई है:

तालिका 1.13: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसई की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,106
2	ऑयल एण्ड नैचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,900
3	कोल इंडिया लिमिटेड	14,501
4	एनटीपीसी लिमिटेड	9,182
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,039
6	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7,570
7	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	6,246
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,209
	कुल	**88,753**

यह देखा जा सकता है कि इन 8 सीपीएसई ने 2016-17 के दौरान 212 सीपीएसई द्वारा कुल अर्जित लाभ के 56 *प्रतिशत* का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है:

तालिका 1.14: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	3,347	1,031
सूचीबद्ध कम्पनियां	35	63,288	1,15,446	62,655
असूचीबद्ध कम्पनियां	74	58,679	33,518	18,805
कुल	111	1,22,692	1,52,311	82,491

2016-17 में लाभांश की घोषणा करने वाले 111 सीपीएसई थे। इन सीपीएसई द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2015-16 में 47.85 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2016-17 में 54.16 *प्रतिशत* हो गया, जिसे चार्ट VI में दर्शाया गया

है। कुल मिलाकर, सीपीएसई द्वारा 2016-17 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,961 करोड़ तक बढ़ गया।

चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)

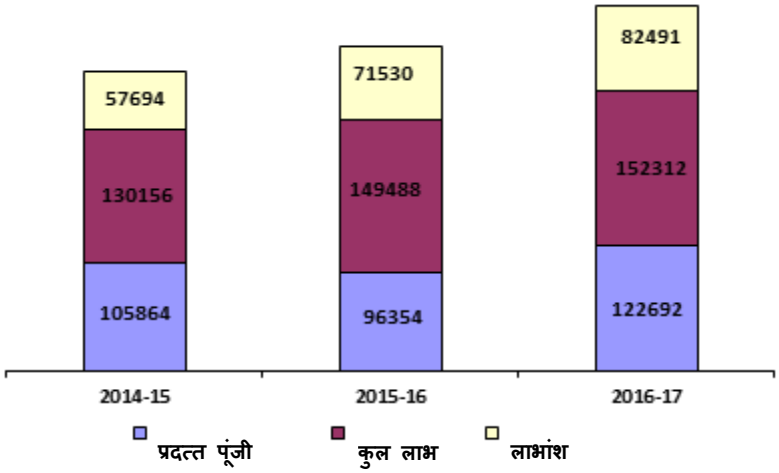

वर्ष 2016-17 के लिए 111 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 82,491 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 47,226 करोड़ था। 406 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ₹ 3,24,270 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 2015-16 के दौरान 13.68 *प्रतिशत* की तुलना में 14.57 *प्रतिशत* था। इसी प्रकार 38 सीपीएसई ने अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹ 23,844 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 17,799 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 16 सीपीएसई ने ₹ 34,918 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2016-17 में 111 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 82,491 करोड़ के कुल लाभांश का 42.33 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश के अध्यधीन, कर पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल सम्पत्ति के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के वार्षिक लाभांश भुगतान करेगा। तथापि, 20 सीपीएसई (5 सूचीबद्ध सीपीएसई सहित) ने

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया था, जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है। इसके कारण 2016-17 में कुल कमी ₹ 5,456.56 करोड़ थी।

2016-17 में 60 सरकार नियंत्रित कम्पनियां थी जिन्होंने ₹ 1,495 करोड़ की मूल्यराशि के लाभांश की घोषणा की थी जो कि उनके द्वारा भुगतान की गई ₹ 11,472 करोड़ की पूंजी का 13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती थी। सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों जिन्होने 2016-17 के दौरान लाभांश घोषित किया था, का क्षेत्र वार वर्गीकरण तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	अर्जित निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएं	39	4957	2535	796
विद्युत	4	4488	1307	321
पेट्रोलियम	3	260	166	156
इंश्योरेंस	1	1000	955	150
परिवहन सेवाएं	2	264	47	38
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	3	446	232	22
व्यापार एवं विपणन	1	41	13	6
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	6	15	21	5
खनिज एवं धातु	1	1	7	1
जोड़	**60**	**11472**	**5283**	**1495**

1.4 हानि उठाने वाले सीपीएसई

157 सीपीएसई को वर्ष 2016-17 के दौरान हानि हुई थी। इन सीपीएसई द्वारा 2015-16 के दौरान उठाई गई हानि ₹ 31,957 करोड़ से कम होकर 2016-17 में ₹ 30,678 करोड़ हो गई जिसका तालिका 1.16 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.16: वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल सम्पत्ति[21]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम				
2014-15	1	1334	0	13944
2015-16	1	1143	0	13268
2016-17	1	907	0	12891
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2014-15	12	8841	26366	-12634
2015-16	12	11830	31297	75113
2016-17	10	9713	29770	10425
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/निगम				
2014-15	119	20686	81685	47916
2015-16	140	18984	73459	91747
2016-17	146	20058	74960	86885
जोड़				
2014-15	132	30861	108051	49226
2015-16	153	31957	104756	180128
2016-17	157	30678	104730	110201

वर्ष 2016-17 के दौरान तालिका 1.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई ₹ 1,000 करोड़[22] से अधिक की हानि वहन की।

तालिका 1.17: 2016-17 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाले सीपीएसई

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3187
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2941
3	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2917
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1914
5	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	1691
6	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1263

[21] *निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि तथा बेशी घटाएं संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड़। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी राजस्व परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिलेखन में से सृजित राजस्व को शामिल नहीं किया गया है*

[22] *2016-17 के लिए लेखाओं के रूप में इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए हुए अपने अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं से एयर इंडिया के आकड़ों का सम्मिलित करते हुए 21 सीपीएसई में कट-ऑफ तिथि से पहले अर्थात 30 सितम्बर 2017 में रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान एयर इंडिया द्वारा ₹ 5,765 करोड़ की हानि वहन की गई।*

173 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से, 41 कम्पनियों को वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 4,308 करोड़ की हानि हुई और 13 कम्पनियों ने अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया या वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किया।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2017 तक 188 सीपीएसई जिनकी संचित हानि ₹ 1,23,194 करोड़ थी। वर्ष 2016-17 के दौरान 188 सीपीएसई में से 127 सीपीएसई ने ₹ 16,274 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2016-17 में 61 सीपीएसई ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 18,465 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

188 सीपीएसई में से 71 की निवल संपत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 71 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2017 को ₹ 36,290 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)71,935 करोड़ थी। इसमें सात सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 7,178 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)27,686 करोड़ थी। 71 सीपीएसई जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (नकारात्मक निवल सम्पत्ति होने पर), में से केवल 11 सीपीएसई ने 2016-17 के दौरान ₹ 2958 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था **(परिशिष्ट-V)**।

71 सीपीएसई में से 22, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (नकारात्मक निवल संपत्ति होने पर), की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2017 को ₹ 6,147 करोड़ थी। इसमें ₹ 1,948 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली चार सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है।

संभावित वित्तीय रूग्णता दर्शाते हुए 332 सीपीएसई, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 28 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2017 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान 406 सीपीएसई में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

चार्ट VII: उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियां और नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)

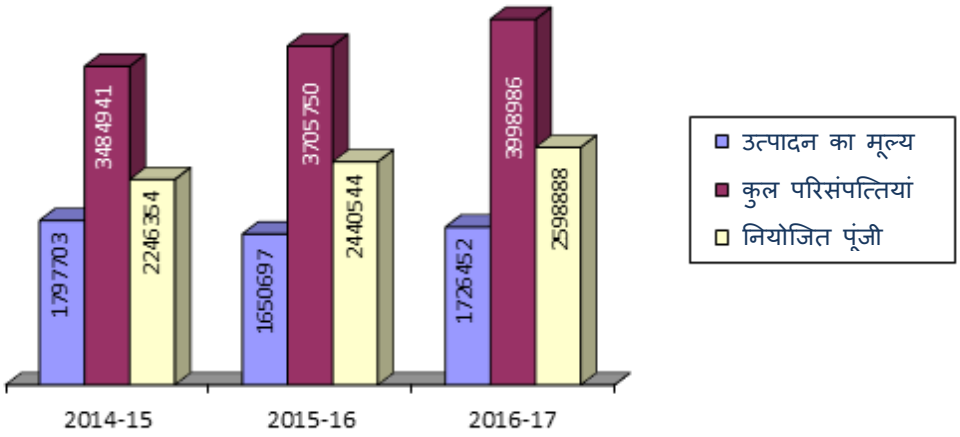

पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 नियोजित पूंजी पर रिर्टन

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो कम्पनी को लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना नियोजित पूंजी[23] के द्वारा ब्याज और करो से पहले कम्पनी की आय (ईबीआईटी) को विभाजित करके किया जाता है। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान 406 सीपीएसई के आरओसीई के ब्यौरे तालिका 1.18 में नीचे दिये गए है:

तालिका 1.18: नियोजित पूंजी पर रिर्टन

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	159868	2246354	7.12
2015-16	168036	2440544	6.89
2016-17	201053	2598888	7.74

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 के लिए इसकी तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 406 सीपीएसई के आरओसीई सीमांत रूप से अधिक थे।

[23] *नियोजित पूंजी = भुगतान की गई शेयर पूंजी+मुफ्त आरक्षित निधि और अधिशेष+दीर्घ अवधि ऋण-संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय*

1.5.3 बिक्री एवं विपणन

2016-17 के दौरान, 406 सीपीएसई की कुल बिक्री ₹ 19,49,214 करोड़ थी। इनमें से 120 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 9,75,073 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,23,433 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में सरकारी क्षेत्रों को इन 120 सीपीएसई की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, 22.91 *प्रतिशत* बनती थी।

53 सीपीएसई थे जिन्होंने ₹ 72,752 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 11,99,017 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 6.07 *प्रतिशत* बनता था। 406 सीपीएसई द्वारा की गई ₹ 19,49,214 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 3.73 *प्रतिशत* थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई तालिका 1.19 में दिए गए है:

तालिका 1.19: 2016-17 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14666
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	14457
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8923
4	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7448
जोड़		**45494**

इन चार सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसई के कुल निर्यात का 62.53 *प्रतिशत* है।

1.5.4 अनुसंधान एवं विकास

सतत् विकास के लिए मौजूदा उत्पादों का विकास करने के लिए और नये उत्पाद, प्रक्रियाओं आदि को विकसित करने के लिए प्रत्येक संस्था को अनुसंधान और विकास करनी पड़ती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कार्रवाई 44 सीपीएसई ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर ₹ 4,621.79 करोड़ का व्यय किया जिसके प्रति 356 पेटेंट पंजीकृत किये गये थे। 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान सीपीएसई द्वारा पंजीकृत किये गये आर एंड डी व्यय और पेटेंट के विवरण नीचे तालिका 1.20 में दिये गये हैं:

तालिका 1.20: आर एण्ड डी व्यय और पंजीकृत पेटेंट

2014-15		2015-16		2016-17	
आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	आर एण्ड डी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट
4551.70	327	5171.40	320	4621.79	356

इसके अतिरिक्त, सीपीएसई जिन्होंने वर्ष 2016-17 में ₹ 500 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय किए थे, को तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: ₹ 500 करोड़[24] से अधिक के आर एंड डी व्यय वाले सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ से आर एंड डी व्यय की प्रतिशतता
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1284	2616	49.08
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	777	1548	50.19
3	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	592	17900	3.31

[24] भेल में, लाभ और हानि विविरण के अनुसर कंपनी का आर एण्ड डी पर व्यय ₹ 240.74 करोड़ था। तथापि, कंपनी की निदेशक रिपोर्ट के अनुसार ₹ 793.62 करोड़ की राशि आर एण्ड डी व्यय के रूप् में दर्शायी गई थी जिसमें ग्राहक आवश्यकताओं के संबंध में उत्पादों/डिजाइनों में बड़े संशोधनों/सुधारो के लिए विनिर्माण इकाईयो पर आर एण्ड डी प्रयास करने के लिए किया गया व्यय सम्मिलित था जिसमें आर एण्ड डी परियोजनाओं को कवर नहीं किया गया था। इसलिए, उपरोक्त 1.21 तालिका में इसे सम्मिलित नहीं किया गया था।